न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 149 / 2019

उनवान

1. मंदिर श्री पारसनाथ जी मुन्दराजे जैन समाज जरियें सेवार्थीगण
1/1. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल
1/2. हुकमचन्द पुत्र हीरालाल जाति महाजन नि0 देराठू, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामा पुत्र वींजा जाति नायक
2. सांवरा पुत्र सुवा कुम्हार
3. पेमा पुत्र राधाकिशन, जाट **(तर्क)**
4. सोहन पुत्र देवीलाल नायक नि0 देराठू, नसीराबाद
5. सरपंच ग्राम पंचायत देराठू
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1,2,4 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा
5 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
6. जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.3.22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में स्थित भूमि मंदिर श्री पारसनाथ मुन्दराजे के खेवट नम्बर 464 के खाते में दर्ज है का वर्णन सनफसली 1315 व चौसाला जमाबंदी व वर्किंग जमाबंदी के अनुसार वर्णन निम्न प्रकार है :–

सनफसली खसरा न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा	वर्किंग ख. न.	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1011	3–15–0	1029	3–15–0	[illegible]	[illegible]	1781मि.	0.69
						1780	0.01
1172	0–6–10	1188	0–6–10	1163	0–6–?	1782	0.01
						1783	0.04
1173	1–6–0	1189	1–2–0	1162	[illegible]	1784	0.20
				1159	0–?–?	1825	0.02
		1190	0–4–0	1162मि.	0–4–0	1784	0.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

उपरोक्त आराजी सन फसली 1315 के खेवट खाता नम्बर 464 के खसरा नम्बर 1011 रकबा 3–15–0 व 1173 रकबा 1–6–10 व 1172 रकबा 0–6–10 में मंदिर पारसनाथ के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर कब्जा मंदिर का ही है तथा वादीगण बतौर पूजारी सेवा करते आ रहे है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 5 के नाम आबादी अंकित कर दी है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने पर आमाा है तथा राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः हाल खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.86, 1780 रकबा 0.01, 1825 रकबा 0.02, 1782 रकबा 0.01, 1783 रकबा 0.19, 1784 रकबा 0.20 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के अधिवक्तागण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर पारसनाथ की है। वर्तमान रेकार्ड में गलती से आबादी अंकित हो गयी है जिसे दुरूस्त किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 का नाम तर्क किया गया।

प्रकरण में वाद पत्र का खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी। वादीगण व प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि वे प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। सन फसली 1315 में साबिक खसरा नम्बर 1011, 1172 व 1173 की आराजी मंदिर पारसनाथ के नाम दर्ज है। चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी तथा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी सिवयचक खाते में दर्ज कर दी गयी । हाल खसरा नम्बर 1780, 1781 1784 की किस्म आवादी, खसरा नम्बर 1782 किस्म गै0मु0 बेरी, खसरा नम्बर 1783 किस्म गै0मु0 रास्ता तथा खसरा नम्बर 1825/7442 किस्म चाह दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 1190 रकबा 0–4–0 राजस्व अभिलेख में मंदिर के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी 1, 2, 4 व 5 ने प्रकरण मे अपनी स्वीकारोक्ति पेश की है। मंदिर मूर्ति नाबालिग है जिसके द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा नही की जा सकती है। आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में मंदिर के नाम दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग को हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना था। किन्तु उनके द्वारा हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया जो विधिक प्रावधान के प्रतिकूल है। वादग्रस्त सम्पदा मंदिर की है। उक्त सम्पदा मंदिर के नाम करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। पत्रावली पर वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। हाल खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.19 की किस्म रास्ता है जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः शेष हाल खसरा नम्बर 1781 मिन रकबा 0.69, 1780 रकबा 0.01, 1782 रकबा 0.01, 1784 रकबा 0.20, 1825/7442 रकबा 0.01 पर वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा 1781 मिन रकबा 0.69, 1780 रकबा 0.01, 1782 रकबा 0.01, 1784 रकबा 0.20, 1825/7442 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। मंदिर श्री पारसनाथ जी मूर्ति [illegible] उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इजाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंदिर श्री पारसनाथ बनाम रामा

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 [illegible] 136 व 131 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 185/2019
पेश करने की दिनांक – 27.12.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कार्रवाई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.) उपखण्ड अधिकारी अभिभाषक सीताराम रावत मुददई, नरेन्द्र सिंह राठौड, आशीष अजमेरा, राज0 [illegible] अभिभाषक [illegible] मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा 1781 मिन रकबा 0.89, 1780 रकबा 0.01, 1782 रकबा 0.01, 1784 रकबा 0.20, 1825/7442 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। मंदिर श्री पारसनाथ जी मुन्दराजे जैन समाज को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यावत वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 03 सन 2022 का जारी की गयी

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:18 IST
Reason: SelfAttested